संसदीय सरिता

अंक 2

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

अगस्त, 2014

हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2013 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए सुश्री मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक।

संसदीय सरिता

अंक 2

वर्ष 2012-13

संरक्षक

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

मार्गदर्शन

प्रो. अनिरूद्ध जोशी

संपादक

श्रीमती सरोज शर्मा

सहायक संपादक

सुश्री मृगनयनी पाण्डेय

प्रकाशक

संसदीय कार्य मंत्रालय,
88, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001
वेबसाइट: **www.mpa.gov.in**

पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। लेखों में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं।

इस अंक में

पृष्ठ

- संदेश.....1-4
- संपादकीय - सरोज शर्मा 5
- लेख -
  - *संसद के झरोखे से* 6-8
    - श्रीमती सरोज शर्मा
  - *युद्ध - एक विवशता या उन्माद* 9-11
    - प्रो. अनिरूद्ध जोशी
  - *हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में केरल की हिंदी संस्थाओं का योगदान* 12-14
    - श्री आर. विजयन तंपी
  - *हिंदी तब से अब तक* 15-21
    - श्रीमती सरोज शर्मा
  - *क्या आप जानते हैं?*.....22
    - श्री नरेश काकोत
- मंत्रालय की गतिविधियां
  - *हिंदी पखवाड़े का आयोजन* 23-26
  - *हिंदी सलाहकार समिति* 27-28
  - *संसदीय शिष्टमंडलों का आदान- प्रदान* 29-30
  - *युवा संसद के कार्यक्रम* 31-35
  - *विधायी अनुभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्य* 36-37
- काव्य कुंज
  - *वैश्वीकरण का दैत्य*.....38
    - श्री अनिरूद्ध जोशी
  - *लो आ गया बसंत*.....39
    - श्रीमती सरोज शर्मा
  - *देखो नया साल फिर आ गया है* 40-41
    - श्री बलविंदर सिंह
  - *वृक्ष और मैं*.....42
    - सुश्री मृगनयनी पाण्डेय
  - *सुप्रभात*.....43
    - श्री राजेन्द्र सिंह 'गन्डूरा'
  - *तुम्हारे किस्से में*.....44
    - *श्री कैलाश सेंगर*
- सामान्यत: प्रयोग होने वाले शब्द 45

एम. वेंकैया नायडु
M. VENKAIAH NAIDU

सत्यमेव जयते

शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन
एवं संसदीय कार्य मंत्री
Minister of Urban Development,
Housing and Urban Poverty Alleviation
and Parliamentary Affairs
Government of India
Parliament House, New Delhi-110001

अगस्त, 2014

संदेश

संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो संसद के दोनों सदनों और सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय का कार्य करता है। इस मंत्रालय के कार्य और गतिविधियां भी संसद से जुड़ी होने के नाते आवश्यक हैं । यह प्रशंसनीय बात है कि इस मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करते हैं। मुझे खुशी है कि इस मंत्रालय द्वारा पत्रिका का दूसरा अंक निकाला जा रहा है।

मैं आशा करता हूं कि पत्रिका के इस अंक में प्रस्तुत लेखों से सभी लाभान्वित होंगे। मेरी ओर से पत्रिका के लिए सबको शुभकामनाएं। साथ ही मैं यह भी आशा करता हूं कि इसमें दी गई जानकारी मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य पाठकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी।

(एम. वेंकैया नायडु)

15, Parliament House, New Delhi-110001 Tel. : 011-23017780, 23017798 Fax : 011-23792341

संतोष कुमार गंगवार
SANTOSH KUMAR GANGWAR

सत्यमेव जयते

वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
संसदीय कार्य, जल संसाधन,
नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-**110001**
Minister of State for Textiles
(Independent Charge),
Minister of State for Parliamentary Affairs, Water Resources,
River Development and Ganga Rejuvenation
Government of India
New Delhi - 110001

अगस्त, 2014

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी पत्रिका "संसदीय सरिता" का दूसरा अंक निकालने जा रहा है। हिंदी संपर्क भाषा के साथ-साथ प्रभावशाली कामकाज की भाषा बने, इसके लिए सबका चिंतन और सम्मिलित प्रयास जरूरी है।

मुझे आशा है कि "संसदीय सरिता" का यह अंक अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करेगा। मैं आशा करता हूं कि पत्रिका की रचनाएं इसके पाठकों के लिए रोचक और लाभप्रद साबित होंगी। पत्रिका के सभी लेखकों और कर्मचारीवृंद को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(संतोष गंगवार)

211, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001
दूरभाष : (011) 23718759, फैक्स : 011-23354496
211, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel. : (011) 23718759, Fax : 011-23354496

प्रकाश जावडेकर
Prakash Javadekar

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
सूचना एवं प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन
(स्वतंत्र प्रभार) और
संसदीय कार्य
भारत सरकार

Minister of State
Information & Broadcasting (Independent Charge)
Environment, Forest & Climate Change
(Independent Charge) and
Parliamentary Affairs
Government of India

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'संसदीय सरिता' का एक और अंक निकाला जा रहा है। इस पत्रिका में मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों सहित राजभाषा हिन्दी के क्रमिक विकास का विवरण दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठकवर्ग के लिए उपयोगी साबित होगी। हिन्दी भाषा हमारे स्वाभिमान की प्रतीक है इसलिए इसकी निरंतरता बनाए रखने की दिशा में जो भी कदम उठाया जाए वह उसके उन्नयन का प्रतीक होगा।

मंत्रालय के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य पाठकगण इसमें प्रस्तुत जानकारी और रचनाओं को रुचिकर पाएँगे।

(प्रकाश जावडेकर)

अफ़ज़ल अमानुल्लाह

सत्यमेव जयते

सचिव
संसदीय कार्य मंत्रालय
8, संसद भवन
नई दिल्ली-110001
SECRETARY
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
8, PARLIAMENT HOUSE,
NEW DELHI-110 001

अगस्त, 2014

संदेश

संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से हिंदी में कार्य की दिशा में निरंतर अग्रसर रहा है। संसद से जुड़े रहने के कारण यह मंत्रालय महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य करता है। भारत सरकार का एक छोटा मंत्रालय होने पर भी संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी पत्रिका "संसदीय सरिता" के दूसरे अंक को प्रस्तुत कर रहा है।

प्रस्तुत पत्रिका के इस अंक में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 में किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्यों के अलावा कर्मचारियों द्वारा हिंदी के कार्य में प्रतिभागिता का विवरण, पत्रिका निकालने में कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य, तथा हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों का सहयोग और उनकी रचनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। मुझे आशा है कि इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री लाभदायक होने के साथ-साथ रूचिकर भी सिद्ध होगी।

संसदीय सरिता के संपादक-वर्ग और कर्मचारीगण को मेरी शुभकामनाएं।

1/9/14

(अफ़ज़ल अमानुल्लाह)

Telephones : 23017663, 23034644 Fax : 011-23017726
website : http://www.mpa.gov.in E-mail : secympa@sansad.nic.in

संपादकीय

विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रंग विरंगे पुष्पों की सुंगध बिखेरती "संसदीय सरिता" का द्वितीय अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

'संसदीय सरिता' के आवरण पृष्ठ पर संसद का चित्र और वटवृक्ष के रूप में विकसित राजभाषा हिन्दी की अनुगूंज के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रतिविंवित हो रहा है कि 14 सितम्बर 1949 को संघ की राजभाषा घोषित करते हुए सरकारी काम-काज में जिस हिन्दी का बीजा रोपण किया गया था वह नन्हा पौधा आज विकसित होकर वटवृक्ष का आकार धारण कर चुका है। फिर भी अंग्रेजी के प्रति बढ़ते हुये आवश्यक मोह एंव समाज के निरन्तर बढ़ते उसके प्रचलन को देखकर राष्ट्रभाषा का हिंदी के सम्बन्ध में एक दृष्टीकौण यह है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हम अंग्रेजी भाषा की जंजीरो से जकड़े पड़े है और हिंदी देश में वह स्थान नहीं पा सकी है जिसकी वह अधिकारी है।

हिंदी भारत की लोक भाषा है,अतः समस्त हिंदी अनुरागियों का यह कर्तव्य है कि वे दृढ़ संकल्प के साथ हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये समन्वित प्रयास करे। यह नहीं भूलना चाहिये कि 10,जनवरी 1975 को हुये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मारीशस, गुआना, फीजी, अफ्रीका,आदि देशो का हिंदी को अंर्तराष्टीय भाषा बनाने में विशेष हाथ व प्रथम सफल प्रयास रहा हैं।

वर्ष 2012 भवानी प्रसाद मिश्र और विष्णु प्रभाकर का जन्म शताब्दी वर्ष है। यह वर्ष अपने साथ प्रख्यात सितारवादक पंडित रविशंकर, जाने माने गज़ल गायक मेहँदी हसन, रोमांस को पर्दे पर नया रूप देने वाले यश चोपड़ा हिन्दी सिनेमा के पहले सुपर स्टार राजेश खन्ना और रूस्तम-ए-हिन्द दारा सिंहं को भी ले गया। इन सभी महान हस्तियों को संसदीय सरिता की ओर से विन्रम श्रद्धांजलि। पत्रिका का अंक 2 आपके समक्ष है। आपकी प्रतिक्रियाओं सुझावों और प्रकाशन हेतु रचनाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।

शुभकामनाओं के साथ।

(सरोज शर्मा)

लोकपाल बिल पर सदन में हुई चर्चा और सांसदों के मुखारबिंद

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, जब भारत का संविधान बना, तो उसमें जो लोग थे, उनका स्टैचर बहुत बड़ा था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य सारे लोग, जो हिंदुस्तान के इंटलेक्चुयल क्रीम थी, वे उस संविधान सभा में थी, जिसने कानून बनाया। इसके बाद की जो स्थिति है, धीरे-धीरे हमें ऐसा लगता है कि इस देश में उस सबके पलटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कानून में यह होता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक उसको निर्दोष माना जाए।

लेकिन यह बिल इस तरह का है, जिसमें हर व्यक्ति को दोषी मानकर चला जाएगा। प्रधान मंत्री से लेकर एम.पी. तक और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी तक, किसी के भी खिलाफ कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है और हम लोगों को, खासतौर से मंत्रियों को एक एस.पी. स्तर के अधिकारी के सामने, एक डिप्टी स्तर के अधिकारी के सामने अपना बयान देने के लिए जाना पड़ेगा। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी। आगे स्थिति यह होगी कि कोई भी अधिकारी या मंत्री कागजों पर निर्णय लेने से, दस्तखत करने से डरेगा।

हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे विरोधी होते हैं। जो भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, वह आपका विरोधी है। कल लोकपाल बिल आने के बाद किसी भी व्यक्ति को एम.पी.लैड वाले मामले में जेल भेजा जा सकता है। तब उसको कोई नहीं रोक पाएगा।

अगर एक बार आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाए, तो चाहे आप निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन जनता की निगाह में आप बेईमान साबित हो जाते हैं

मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले पर पुनर्विचार करें। यह देश के हित में नहीं है। जब बहुत इम्पोर्टेंट मसलों पर निर्णय नहीं हो सकेगा, देश अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगा, वह देश के हित में नहीं होगा। इस लोकपाल विधेयक पर आप यह जो काम करने जा रहे है, इसमें समाजवादी पार्टी भागीदार नहीं बनेगा और इसलिए, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और सदन से बहिर्गमन करती है।

नेता विरोधी दल (श्री अरूण जेटली): महोदय, कानून मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते वक्त कहा है कि इतिहास बनता भी है और इतिहास दोहराया भी जाता है। महोदय, आज की बहस, 29 दिसंबर, 2011 को सारे दिन चली बहस, जो कि मध्य रात्रि को इंटरप्ट हो गई थी, उसकी बहस को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। 29 दिसंबर, 2011 को जो कुछ हुआ, उस इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है। हवा बदलती है, राजनीतिक माहौल बदलता है लेकिन समस्त विपक्ष का वही रवैया है, जो दिसंबर, 2011 को था। इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल में और बदलती हुई हवा में शायद सरकार की समझ थोड़ी बदली है। इसलिए हम 29 दिसंबर, 2011 को जो कह रहे थे, उसमें क्या गुण था और क्या मैरिट थी, यह आज सरकार को समझ आना असंभव है।

यह सभी के लिए खुशी की बात है कि इतिहास ने हमें एक और अवसर दिया है कि जो बहस पिछले 46 वर्षों से चल रही थी, उसे आज समाप्त कर हम पहल करें और लोकपाल बिल को पारित करें। उस बिल में जो कमियां और कमजोरियां थी उनको दूर करें और एक विश्वसनीय और क्रेडिबल कानून, जो क्रेडिबल हो वर्केबल भी हो, उसे देश के सामने पेश करें।

सभी राजनीतिक दल इसके हर पहलू पर विचार कर सर्वसम्मति से इस कानून को पास करें। मुझे विश्वास है कि आरंभिक दिनों में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन राजनीति ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम हर रोज सीखते हैं, हर रोज अपने आपको सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो सुधार इस देश में आवश्यक है, इस देश के हित और राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए, उसमें यह कानून बहुत बड़ा योगदान होगा।

सेलेक्ट कमेटी के सुझाव के बाद आज एक सुझाव लाया गया और इसमें एक प्रावधान यह कर दिया गया कि एक वर्ष के अंदर हर राज्य में लोकायुक्त बनाना अनिवार्य होगा। केंद्र हर राज्य को एक माडल लॉ इसी कानून के आधार पर भेजे। उस कानून को या कुछ संशोधनों के साथ हर राज्य की विधान सभा के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस लोकायुक्त को भी पारित करे। लोकायुक्त होगा, लेकिन संविधान के दायरे में होगा और हर राज्य की जो संवैधानिक संस्था है - हर राज्य की विधान सभा, यह जिम्मेवारी उसके ऊपर दी गई है और उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि उस कानून को वह बनाए।

इसके अतिरिक्त लोकपाल का जो अधिकार क्षेत्र है, इसके संबंध में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार उस पर पुनर्विचार कर ले।

श्री रामविलास पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरा यह विचार है कि पूरे सदन को इस पर मीता से विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस दायरे में लाना चाहिए या नहीं। मेरी समझ से प्रधानमंत्री को इस दायरे में नहीं लाना चाहिए। जैसा कि अभी गुजराल साहब ने कहा है कि कोई भी कहीं जाकर केस कर दे और हंसा दे तो प्रधानमंत्री ऑफिस की जो मर्यादा है, वह खत्म हो जाएगी। लोकपाल के संबंध में यह कंसेप्ट बनता जा रहा है कि सब अफसर्स, सब पॉलिटिशियंस बे-ईमान हो गए हैं। हमारे अंदर कहीं-न-कहीं भय है कि इसका रिपरकशन क्या होने वाला है। मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं लेकिन दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। इसलिए लोकपाल का सपोर्ट करना ही है, तो कीजिए। हम लोग तो हम, आप ही लोग ज्यादा भुगतिएगा। अगर आपकी नियत साफ हो जाए तो जो वर्तमान कानून है, वह सफिशिएंट है। अन्यथा चाहे बिल लोकपाल बिल लाइए, महालोकपाल बिल लाइए, जो पाल लाना है, हर पाल को ले आईए, उससे किसी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। अब 10 साल के बाद पार्लियामेंट बैठेगी, तब जाकर यह मंथन करेगी कि हमने इतने उत्साह के साथ जो लोकपाल कानून बनाया था, उसका क्या हश्र हुआ और फिर कोई दूसरा बिल आ जाएगा।

संकलन: सरोज शर्मा (संपादिका)

युद्ध - एक विवशता या उन्माद

- **प्रो. अनिरूद्ध जोशी**

मेरे एक शिष्य ने कुछ वर्ष पहले मेरे से एक प्रश्न पूछा था, कि हर युग में युद्ध क्यों हुआ है? क्या यह जरूरी था? इसके बिना काम नही चल सकता था क्या? इस प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया, मुझे लगा इस विद्यार्थी का प्रश्न बहुत हृदय स्पर्शी एवं गंभीर है। अन्य देशों की बात छोड़िए अपनी ही बात करते हैं। अपने प्रथम धर्म ग्रंथ 'ऋग्वेद' में युद्ध के वर्णन हैं। पुराणों और महाकाव्यों तक आते-आते तो मानो यह हमारी संस्कृति में समा ही गया। देवी भगवती अनेक असुरों से युद्ध करती हैं। शुम्भ-निशुम्भ, चंडमुंड और महिषासुर और भी न जाने किस-किस के साथ। भगवान राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। महाभारत का युद्ध तो विश्व की संस्कृति और इतिहास दोनों में अपना अद्भुत स्थान रखता है। विष्णु के अवतारों में नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण और यहां तक कि कल्कि (जो अभी होगा) युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे सभी आदर्श देव इसलिए भी पूज्य हैं कि वे युद्धकला में निपुण थे और आसुरी शक्तियों को पराजित करने की अद्वितीय क्षमता रखते थे। प्रचीन मान्यता के अनुसार और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट वही हो सकता था जो अपने समकालीन राजाओं को पराजित कर अपना अधिप्तय स्थापित कर सकता था।

विश्व के इतिहास में भी दृष्टि डालें तो शक्तिशाली राजा वही माने गए हैं जो युद्धों में विजय प्राप्त कर सकते थे। यूनानी सम्यता में हर युवक को युद्धकला सीखने के लिए कहा जाता था। हर देश अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार सेनाओं का गठन करता था। वनचर और अन्य जातियां भी सेनाए रखती थीं और समय-समय पर युद्ध लड़ती थी। यद्यपि सैनिक कार्यों में मुख्यत: पुरूष वर्ग ही भाग लेता था तथापि अनेक स्थलों पर युद्धों में स्त्रियों के भी सम्मिलित होने के उल्लेख मिलते हैं।

युद्ध अनेक कारणों से लड़े जाते रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं - भागौलिक सीमाओं की रक्षा के लिए, पड़ोसी देश की संपन्नता से ईर्ष्यावश उसका विनाश करने के लिए, आसुरी शक्तियों द्वारा दैवी शक्तियों को चुनौती देने के लिए, महत्वाकांशी शासकों द्वारा अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए, किसी धर्मविशेष का अन्य धर्मानुयायिओं पर आधिपत्य जमाकर अपने धर्म को फैलाने के लिए, किसी सुंदरी स्त्री को ग्रहण करने के लिए किसी उद्दण्ड शासक के विरोध में विद्रोहवश। कभी-कभी गर्वोन्मत शासक अन्य शासकों पर अपनी सामरिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भी युद्ध लड़ते हैं।

आधुनिक युग में विशेष राजनैतिक विचारधारा के प्रसार के लिए दूसरें राष्ट्रों पर युद्ध थोपे जाते हैं। सभी स्थितियों में मनोविज्ञान, अनियंत्रित राजशक्ति एवं उन्माद युद्ध के कारण बनते हैं।

युद्ध लाते हैं अपने साथ सम्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और कलाओं का विनाश। युद्धों का परिणाम होते हैं, भूख, बेकारी दूसरे लोगों पर निर्भरता, पराधीनता इत्यादि। आज के युग में शस्त्र-अस्त्रों को एकत्रित करने की होड़ सी लग गई है। जितना धन संपन्न एवं विकासशील देश सुरक्षा उपकरणों, सनाओं पर व्यय करते हैं उसका चौथाई भी आम आदमी के लिए खर्च कर दिया जाए तो जनसाधारण में कोई भूखा नही रहेगा, अशिक्षित नहीं रहेगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और सहस्त्रों ज्ञान भास्कर उदित हो सकेंगे। लेकिन, उन्मत्त शासक पहले आम जनता को मानसिक तौर पर युद्धोन्मुखी बनाते हैं, फिर विनाश की लीला में प्रवृत्त होते हैं। सबसे ज्यादा इसे भोगते हैं आम लोग। खेद का विषय यह है कि सीमा पर छोटी से छोटी घटना का समाधान हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि एवं राजनैतिक दल युद्ध में ही ढूंढते हैं। पड़ोसी राष्ट्रों की किसी भी अवांछित गतिविधि के हल के लिए, सरकारों को युद्ध के लिए उकसाने के लिए नेता लोग तीखे बयानों की झड़ी लगा देते हैं। पीठासीन सरकारों को दुर्बल कहा जाता है, नेताओं को पंगु और शक्तिहीन। पर क्या हर समस्या

हल युद्ध है? क्या एक युद्ध के बाद कभी वैसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हुई। क्या यह भी सच नहीं कि हर युद्ध अंततः बातचीत के बाद ही समाप्त हुआ है और हर युद्ध की अंतिम परिणति समझौता ही है। तो फिर इसे पहला कदम न मानकर हम अंतिम कदम क्यों मानते हैं। इसका कारण केवल व्यक्तियों का अहं है। कुछ लोग किसी न किसी शासन पद्धति में शक्तिशाली बन जाते हैं तो अन्य लोग उनकी चाटुकारिता करने के लिए उनके हर निर्णय को सही बताते हैं। जनसाधारण का हित सोचने के बजाय वे शासक को प्रसन्न करने में अपना हित मानते हुए अनुचित निर्णयों का समर्थन करते हैं। व्यक्तियों का युद्धोन्मुखी उन्माद किसी भी दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं होता।

विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध के कारण हानि दोनों पक्षों की होती है, विजेता की भी और पराजित पक्ष की भी। यह अलग बात है कि विजेता विजय के गर्व में इसकी गणना नहीं करता और पराजित इस हानि की पूर्ति के लिए बहुत देर तक इस परिस्थिति से झूझता रहता है। परिस्थितियों की विवशता से होनेवाले युद्धों में भी हानि तो होती ही है। कौरवों के सर्वनाश के बाद भी क्या पांडवों के कुल को एक अश्वत्थामा ने अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचाई? क्या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में दोनों पक्ष आर्थिक रूप से आहत नहीं हुए। सत्य तो यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम युद्ध में प्रवृत्त होते हैं - उन्मादवश, अहंवश और हमें मिलता है विषाद और कभी-कभी अल्पकालिक प्रसन्नता।

<u>परम-मित्र</u>

एक बार एक आदमी मृत्यु शय्या पर पड़ा था। उस समय उसने अपने तीन मित्रों को बुलाया और अपने साथ चलने को कहा। पहला मित्र आया और उसने कहा कि "मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम्हें तो मेरे बिना ही मरना पड़ेगा।" दूसरे मित्र ने कहा कि "मैं केवल श्मशान घाट तक ही चल सकता हूं, वहां से मैं तुम्हारा क्रिया-कर्म करके वापिस आ जाऊंगा।" तीसरे मित्र ने कहा कि "मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारे साथ मुझे याद करेंगे।" जानते हैं यह तीनों मित्र कौन थे? पहला मित्र था 'धन', जो किसी के साथ नहीं जाता है। दूसरा मित्र था 'परिवार', जो सिर्फ श्मशान तक ही साथ जाता है और वापिस आ जाता है। तीसरा मित्र था 'कर्म', जो मनुष्य जिंदगी भर करता है और मरने के बाद किसी व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों से ही याद किया जाता है। मनुष्य के कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं - उसके जीवित रहने तक और उसके मरने के बाद भी।

हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में
केरल की हिन्दी संस्थाओं का योगदान

आर. विजयन तंपी

राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के बाद राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने, अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध जनता को प्रबुद्ध करने, स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्वदेशी संस्कार पैदा करने के लिए देश के चिंतकों, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक नेताओं के प्रयत्न से भारत में अनेक स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाएँ स्थापित हुईं, उनमें हिन्दी प्रचारक की सेवाएँ भी उल्लेखनीय हैं।

अहिन्दी प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित स्वैच्छिक हिन्दी संस्था है दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा। इसके संस्थापक तथा आजीवन अध्यक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी थे। गाँधीजी ने एक तरफ असहयोग आंदोलन में अंग्रेज़ी स्कूल-कालेजों का बहिष्कार करनेवाले छात्रों के लिए हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा देने वाले राष्ट्रीय विद्यापीठ को खोला, दूसरी तरफ हिन्दीतर प्राँतों में हिन्दी प्रचार के लिए स्वैच्छिक तथा स्वावलंबी हिन्दी संस्थाओं का जाल सा बिछा दिया। इन संस्थाओं की स्थापना में बाबा राघवदास, मोट्टूरी सत्यनारायण, श्रीमन नारायण, आदि का योगदान भी स्मरणीय है।

दक्षिण भारत के चारों प्रांतों में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की शाखा संस्थाओं के अलावा भी अनेक स्वतंत्र स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाएँ स्थापित हुईं, जिनमें मुख्य हैं केरल हिन्दी प्रचार सभा। गाँधीजी के आह्वान से प्रेरणा प्राप्त केरल के कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं हिन्दी विद्वान स्वर्गीय के.वासुदेवन पिल्लैजी ने सन् 1934 में केरल हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की।

देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रचार करना प्रस्तुत भाषा के प्रचार के लिए किये जाने वाले प्रचारों का समन्वयन करना, जहाँ आवश्यक हो वहाँ हिन्दी विद्यालयों को आरंभ करना निजी विद्यालयों का संबद्धीकरण, हिन्दी भाषा एवं साहित्य तथा हिन्दी अध्यापन आदि विषयों पर चर्चाओं, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का संकठन करना, हिन्दी नाटकों और अन्य प्रदर्शनों का मंच पर प्रस्तुतीकरण, निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर हिन्दी परीक्षाएँ चलाना, पाठ्य पुस्तकों, अन्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन और हिन्दी प्रचारकों की आर्थिक स्थिति सुधार आदि सभा के मुख्य लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों के मन में राष्ट्रीयता एवं भाषाई सामंजस्य की भावना की सृष्टि करना है।

केरल हिन्दी प्रचार सभा सन 1966 से 'केरल ज्योति' नामक एक हिन्दी मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर रही है जिसका उद्देश्य केरल की संस्कृति एवं साहित्य को उजागर करना है। इससे नव हिन्दी लेखकों एवं अनुवादकों को प्रोत्साहन मिलता है। हिन्दी में प्राप्त दक्षता के लिए सभा द्वारा कई पुरस्कार दिये जाते हैं। सभा द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय छात्रों को सभा छात्रवृत्तियाँ तथा प्रमाण पत्र प्रदान करती है। भाषाई सामंजस्य के लिए योगदान करने वाले केरल के विशिष्ट विद्वानों, लेखकों एवं विचारकों को सभा 'साहित्य कलानिधि' की मानक उपाधि से सम्मानित करती है। सभा का अपना मुद्रणालय है राष्ट्रवाणी मुद्रणालय, जहाँ संस्कृत, मलयालम, तमिल और अंग्रेजी की छपाई करने की सुविधाएँ हैं।

सभा ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अहिन्दी क्षेत्र के हिन्दी लेखकों, हिन्दी प्रचारकों, हिन्दी अध्यापकों के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एन.सी.ई.आर.टी., केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, साहित्य अकादमी आदि के तत्वावधान में अनेक कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया है। राज्यस्तरीय हिन्दी पखवाड़ा समारोह तथा राज्यस्तरीय हिन्दी युवजनोत्सव सभा द्वारा हर साल आयोजित मुख्य कार्यक्रम हैं। सभा के कार्यकलापों के लिए सबकी सराहना मिली है। जिन राज्यमंत्रियों, केन्द्रमंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विविध समारोहों में सभा में पदार्पण किया है। उन्होंने सभा द्वारा राष्ट्रीय अखण्डता के लिए दी जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का अभिनंदन किया है। वे भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में सभा के बहुमूल्य योगदान पर अत्यन्त प्रभावित हुए हैं।

हिन्दी प्रचार-प्रसार कार्य करने वाली केरल की अन्य संस्थाएँ हैं - तिरुवनन्तपुरम स्थित हिन्दी विद्यापीठ (केरल), आलप्पुषा में गाँधी स्मारक ग्राम सेवा केन्द्र, तृशूर-कोडुंगल्लूर में हिन्दी प्रचार केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम-पेरुंगुषी में देशीय हिन्दी अकादमी, तिरुवनन्तपुरम-पट्टम में केरल हिन्दी साहित्य अकादमी आदि। ये छोटी हिन्दी संस्थाएँ राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए तथा भाषा और साहित्य के विकास में अपना-अपना योगदान कर रही हैं।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रियता लाने के विचार से गाँव में स्थापित स्वैच्छिक हिन्दी संस्था है देशीय हिन्दी अकादमी। सन् 1985 में इसकी स्थापना की गयी थी। हिन्दी प्रचार कार्यों का संगठन करना, केरल हिन्दी प्रचार सभा से या अन्य स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं से संबद्ध होकर, विविध स्तरों की हिन्दी परीक्षाओं की कक्षाएँ चला कर परीक्षार्थियों को तैयार करना, हिन्दी पुस्तकों व सामयिक हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, हिन्दी विषयों में संगोष्ठियाँ वाद-विवाद आदि का संचालन करना, गाँधीजी के आदर्शों से संबन्धित राष्ट्रीय एकता

की कार्रवाइयों का संगठन करना आदि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। यह संस्था एक पिछड़े हुए स्थान पर होने पर भी, अपने सक्रिय सदस्यों द्वारा काफी आगे बढ़ चुकी है। हर वर्ष केरल हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं के लिए यहाँ से सैकड़ों छात्र-छात्राएँ भाग लेते हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढती जा रही है। हिन्दी योग्यता प्राप्त होने के कारण उनमें से कुछ स्नातकों को स्कूली हिन्दी अध्यापक के पद पर या अन्य अच्छी नौकरी मिली है, दूसरे कुछ अकादमी की प्रेरणा से खुद रोजगार के रूप में हिन्दी प्रचार के लिए विद्यालय चलाते हैं। यहाँ सुचारू रूप से चलनेवाले एक हिन्दी पुस्तकालय और वाचनालय हैं। केन्द्र सरकार से पुस्तकों की खरीद के लिए हर वर्ष अनुदान मिलता है।

हिन्दी दिवस के सिलसिले में हर वर्ष राज्यस्तरीय संगोष्ठियाँ, छात्रों के लिए हिन्दी प्रतियोगिताएँ आदि चलाती आ रही है। 'नवीन पाठ्यचर्या तथा हिन्दी, भावात्मक एकता एवं हिन्दी, केरलीय जनता में हिन्दी की आवश्यकता, भारतीय भाषा में हिन्दी की प्रमुखता, राजभाषा और राष्ट्रभाषा' आदि विषयों पर अब तक संगोष्ठियाँ चलायी गयी हैं। केरल के मशहूर हिन्दी पंडित लोग और प्रमुख जननेता इसमें भाग लेते रहे हैं।

हिन्दी के साथ खादी का प्रचार करना भी संस्था का लक्ष्य है। संस्था के वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में हिन्दी परीक्षाओं में उच्चतम अंक पानेवालों को तथा हिन्दी प्रचारकों को पुरस्कार दिये जाते हैं। साथ ही हिन्दी प्रेमी, समाज सुधारक, समाज सेवक आदि को आदर के रूप में 'समाज सेवा पुरस्कार' दिये जाते हैं।

इन स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के अथक प्रयत्न से ही केरल राज्य सरकार हिन्दी को स्कूलों में तथा विश्वविद्यालयों व कालेजों में मान्यता देने को तैयार हुई। केरल में अनेक हिन्दी विद्वान आज इन्हीं संस्थाओं से प्रेरणा पाकर हिन्दी में मौलिक लेखन कार्य में लगे हैं। केरल के विविध केन्द्रों से हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हो पा रहा है। त्रिभाषा सूत्र को सही प्रतिष्ठा देने का श्रेय वस्तुत: केरल की स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को प्राप्त है।

हिन्दी वह धागा है, जो विभिन्न मातृ भाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार सृजन करेगा। --- डा. ज़ाकिर हुसैन

हिन्दी तब से अब तक

किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए यदि अपना पहले एक लक्ष्य निर्धारित करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाये साथ ही सही मार्गदर्शन, सहयोग भी मिले तो सफलता अवश्य ही मिलती है। राजभाषा हिन्दी के विकास एवं प्रचार-प्रसार के बारे में भी यही नीति बनानी होगी। भाषा मानव की सम्पति है। मानव को यह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है कहते हैं कि भाषा ज्ञान का द्वार होती है। भाषा चिंतन का साधन विचारों का माध्यम व्यवहारिक ज़रूरतों की पूर्ति का उपकरण होती है। भाषा ही एक सतत माध्यम जिसके द्वारा हम मानवीय संवेदनाओं माननीय भावनाओं से जुड़ते हैं।

स्वाधीनता के उपरांत विदेशी शासन के बोझ को अपने से ऊपर उतार फेंकने के बाद यह प्रश्न उठा कि भारत की राजभाषा क्या हो? क्योंकि भारत वर्ष में करीब 1652 मातृ बोलियां बोली जाती हैं। अतः ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि अब स्वतंत्र भारत में शासकीय कामकाज किस भाषा या भाषाओं में किया जाये तो संविधान सभा जिसका गठन देश विभाजन से पूर्व ही हो गया था उसके पास विभिन्न मत आये किन्तु बाद में सर्वसम्मति से 14 सितम्बर 1949 को 50 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा व 80 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा "हिन्दी" को ही "राजभाषा" के मूल रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा में राजभाषा संबंधी उपबंधों के विषय में चर्चा तो मुख्यतः 12,13,14 सितम्बर 1949 को ही शुरू हो चुकी थी।

वैसे भारत के संविधान का ही हिन्दी रूपान्तर का कार्य तभी शुरू हो गया था जब संविधान बनाने की कार्यवाही चल रही थी। संविधान के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने इस कार्य के लिये हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ सदस्यों की एक समिति गठित की थी जिसने संविधान के अँग्रेज़ी प्रारूप का हिन्दी में अनुवाद किया। संविधान के हिन्दी अँग्रेज़ी दोनों ही भाषा के रूपान्तरों पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये तथा संविधान के अनुच्छेद 343 में यह घोषणा की गई कि "संघ की राजभाषा हिन्दी व लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। साथ ही संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक समानान्तर प्रयोग की वैधानिक मान्यता दी गयी एवं हिन्दी भाषा का विकास करके हिन्दी को ही राजकाज की भाषा स्थापित किया जायेगा।

हिन्दी को बढ़ावा देने की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गयी। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रपति ने 1952, 1955, 1960 में हिन्दी के चरणबद्ध विकास के लिए अनेक आदेश जारी किये तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सलाहमशवरों के लिए किये विद्वानों की कई समितियां भी गठित की गयी।

1960 के आसपास अहिन्दी भाषी राज्यों से विरोध की आवाज उठी। इसलिए 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया कि जब तक हिन्दी अपना पूर्ण स्थान नहीं ग्रहण कर लेती तब तक अँग्रेज़ी भी प्रशासनिक कार्यों में यथावत कार्य करती रहेगी।

1965 में फिर भाषा विवाद उभरा इसके कारण सरकार को यह आश्वासन देना पड़ा कि जब तक देश के सभी राज्य हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने की स्वीकृति नहीं दे देते तब तक केन्द्र के साथ पत्र व्यवहार अँग्रेज़ी में किया जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अधिनियम 1963 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा 1967 में ही एक"राजभाषा संकल्प"सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी का प्रचार प्रसार किया जाये।

राजभाषा नियम 1976 भी इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बनाये गये राजभाषा नियम बनाने की शक्ति राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 में निहित थी। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये देश को तीन क्षेत्रों "क" "ख" "ग" में बॉटा गया व तीनों क्षेत्रों की स्थितियों की भिन्नता के अनुसार हिन्दी में कामकाज के अलग-अलग लक्ष्य रखे गये। हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का जवाब हिन्दी में ही दिये जाने का प्रावधान रखा गया। हिन्दी में प्रवीणता और कार्य साधक ज्ञान के मापदंड तय किया गये। हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के लिये प्रत्येक वर्ष गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वयन करने का दायित्व केन्द्र सरकार को सौंपा गया। इस अनुपालन में गृह मंत्रालय के 'राजभाषा विभाग' द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में पूरे एक वर्ष में हिन्दी के कामकाज में प्रगति लाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इस प्रकार वैधानिक प्रावधानों से हिन्दी के प्रति बढ़ती अरुचि तथा कुछ हद तक अनभिज्ञता स्तर में कमी को रोकने में सहायता तो अवश्य ही मिलती है और जहां सरकारी दायरे में कामकाज हो रहा है वहां हिन्दी का प्रयोग भी बढ़ रहा

है। यह तो सर्व विदित है कि हिन्दी भाषा न केवल देश की सर्वश्रेष्ठ भाषा है अपितु यही एक अकेली ऐसी भाषा है जिसको देश का सबसे अधिक इकट्ठा कोई वर्ग बोलता व समझता है। विश्व में अँग्रेज़ी व चीनी के बाद सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली तीसरी भाषा हिन्दी है। हिन्दी वह भाषा है जो भारत की सभी भाषाओं के मध्य सेतु का कार्य करती है।

हिन्दी हमारे देश में सदियों से राजभाषा के रूप में प्रचलित रही है। राजपूत मराठा, मुसलमान शासक, ईस्ट इंडिण्या कम्पनी के शासन काल में भी हिन्दी का प्रयोग होता रहा है।

आज से लगभग 691 वर्ष पूर्व भी दक्खिनी भाषा (हिन्दी) दक्षिण भारत की जनसाधारण की भाषा के रूप में थी और लगभग 300 वर्षों तक इसने वहां राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण किया। दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचलन बढ़ने का कारण मुग़ल बादशाहों की विजय रही है। अलाउद्धीन खिलजी ने 1303 से 1313 तक दक्षिण भारत पर आक्रमण करके देवगिरि के यादवों, होयसल और वांरगल राज्यों को परास्त किया था। मुग़ल शासकों को शासक व्यवस्था में हिन्दुओं का ही अधिकतम योगदान होता था। अतः दक्षिण भारत में हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों के आगमन के परिणाम स्वरूप हिन्दी का प्रयोग हुआ। कालांतर में बीजापुर के शासक ने भी दक्खिनी भाषा (हिन्दी हिंदवी) को राजभाषा बनाया। 11वीं शताब्दी के शुरू तक दक्खिनी हिन्दी दक्षिण की भाषा के रूप में स्थान ग्रहण कर चुकी थी। 12वीं शताब्दी के पश्चात तुर्कों व अफगानों के आगमन के उपरांत फारसी भाषा राजभाषा के रूप में प्रचलित थी किन्तु तब भी आंशिक रूप से पुरानी हिन्दी का भी सरकारी कार्यों में प्रयोग होता रहा है। मुग़ल काल में ही 1526 से 1707 में ही सूर तुलसी कबीर और रहीम रसखान आदि ने हिन्दी साहित्य की रचना करके स्वयं को महान हिन्दी कवियों के रूप में विभूषित किया है।

मुगल काल में शासन कार्य का माध्यम हिन्दी ही था। मध्य कालीन शासन व्यवस्था के विशेषज्ञ "ब्लाखमैन" ने सन् 1871 ई0 में 'कलकत्ता रिव्यू' में इस तथ्य की ओर संकेत करते हुये लिखा था कि "मालगुज़ारी को एकत्रित करने और जागीरों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व हिन्दुओं के ही हाथ में था। अतः निजी व सर्व साधारण का हिसाब किताब सब हिन्दी में ही रखा जाता था। ऐतिहासिक दस्तावेज से भी पुष्टि होती है कि अकबर के शासन काल के मध्य तक समस्त कागजात हिन्दी में ही रखे जाते थे।

'ईस्ट इंडिया कम्पनी' के शासन काल 1803 में जनता से संबंधित क़ानूनों को हिन्दी में ही दिये जाने के आदेश थे।

महमूद गजवनी के सिक्कों पर संस्कृत भाषा देव नागरी लिपि का प्रयोग होता था। खिलजी, तुगलक, ब्रहमन तथा गोलकुंडा के शासकों के यहां हिन्दी भाषा की ही प्रयोग होता था तथा 'आफाकी' 'मराठो' के राजकाज की भाषा हिन्दी ही थी।

20वीं शताब्दी में स्वाधीनता से पूर्व मध्य भारत राजस्थान आदि में राजकाज हिन्दी में ही होता रहा है। 1978 में राजभाषा विभाग की ओर से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया किया गया जिसका नाम "राजभाषाओं का सम्मेलन"था। इसी अवसर पर विज्ञान भवन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था जिसमें सदियों पूर्व हिन्दी में कामकाज के प्रयोग की झाँकी प्रस्तुत की गयी थी और यही प्रदर्शनी का प्रमुख खंड था।

<u>वर्तमान में हिन्दी-</u> इस प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी मुसलमानी शासन काल के आसपास से ही भारत की राष्ट्रभाषा का दायित्व निभाती आ रही है। **<u>राजभाषा</u>** का दर्जा पाने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी को 26 जनवरी 1950 ई. (भारतीय संविधान की स्वीकृति) तक अवश्य प्रतीक्षा करनी पड़ी।

<u>संवैधानिक स्थिति-</u> 15 अगस्त 1947 ई. को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत वर्ष में जो नया संविधान अस्तित्व में आया उसके अनुसार धारा 343(1) में संघ की सरकारी भाषा देव नागरी लिपि को तीन स्तरों पर राजभाषा स्वीकार किया गया

(1) देव नागरी में लिखित हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है अर्थात हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा का पद दिया गया।

(2) हिन्दी विभिन्न प्रदेशों की प्रादेशिक भाषा है जैसे उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा दिल्ली आदि इन राज्यों ने प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने की घोषण की।

(3) पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात प्रान्तों ने अपनी प्रादेशिक भाषा के साथ अर्थात सह भाषा के रूप में प्रयोग करने की घोषणा की। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तब से 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

संविधान के 2,6,17वें भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं भाग (2) के अनुच्छेद (120) संसद की भाषा

भाग (6) के अनुच्छेद (210) में राज्य के विधान सभाओं के संबंधी निर्देश हैं। अनुच्छेद (344) में राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के पांच वर्ष की समाप्ति पर या 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा किया जाएगा। समिति में 30 सदस्य होंगे 20+10 राज्य सभा।

अनुच्छेद (345) **<u>राज्य की भाषाऐं व अंग्रेजी</u>** 346, 347 के उपबंध में उल्लिखित है जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा (कानूनी) हिन्दी को अंगीकार न कर ले तब तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अँग्रेज़ी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद (348) उच्चतम न्यायालय, संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा निकाले गए अध्यादेश या विधियक का प्राधिकृत पाठ अँग्रेज़ी भाषा में होगा।

अनुच्छेद (349) भाषा संबंधी की कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है।

अनुच्छेद (350) व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जानी वाली भाषा का रूप संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा होगी।

अनुच्छेद (351) हिन्दी भाषा चहुँमुखी विकास तथा प्रचार-प्रसार का कानूनी दायित्व केन्द्र सरकार को सौंपा गया है। इसके दिशानिर्देश भी अनुच्छेद (351) में दिया गया है।

<u>राजभाषा अधिनियम 1963</u> दक्षिण में भाषा विरोध के कारण यह नियम पारीत किया गया। इसमें केवल 9 उपवंध है।

अधिनियम 1963 में 1967 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में अँग्रेज़ी का प्रयोग बना रहेगा। राज्यों द्वारा हिन्दी के पत्र पत्रादि के साथ-सथा अँग्रेज़ी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

राजभाषा नियम 1976:- 25 जून, 1975 को गृह मंत्रालय के अधीन **"राजभाषा विभाग"** की स्थापना की गई और राजभाषा अधिनियम 1963 व 1967 के प्रावधानों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अधिनियम 1963 की धारा (8) के अन्तर्गत राजभाषा नियम 1967 पारित किया गया।

इन नियमों में सरकारी कर्मचारियों के हित को दृष्टिगत रखकर हिन्दी विकास के लक्ष्य को 'क' 'ख' 'ग' तीन स्तरों में बांटा गया।

राजभाषा संकल्प 1968 दोनों सदनों द्वारा संविधान के अष्टम अनुसूचित में उल्लिखित (18) भारतीय भाषाओं के एवं हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु लिए पारित किया गया।

त्रिभाषा सूत्र बहुभाषी स्वतंत्र भारत में देश की भाषा के राजनीतिक समाधान के लिए 1956 ई. में "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड" ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की जिसमें हिन्दी-अँग्रेज़ी के साथ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

कुछ हिन्दी प्रेमियों द्वारा अधिकाधिक सतत प्रयासों से हजार-हजार पृष्ठ की तकनीक तथा विधिक पुस्तकों मैनुअल आदि जो पहले अँग्रेज़ी में थे उनका हिन्दी में अनुवाद किया या मौलिक रूप से तैयार किया गया।

हिन्दी भाषा के विकास में हिन्दी टाइपराइटर जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक भी बने उनका एवं कम्प्यूटर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

माइक्रोसाफट कम्पनी ने हिन्दी को कम्प्यूटर की भाषा के रूप में स्वीकार किया।

फोनेटिक यह हिन्दी टाइप करने का आसान तथा वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। इसकी विशेषता यह है कि इसको सीखने में अधिक समय नहीं लगता यह भारतीय भाषाओं के गुण जैसा बोला जाता है जैसे मेरा भारत महान लिखना है तो टाईप करेगें Mera Bharat Mahan

यूनिकोड यानि एक **मानक कोड** के आने से 'फोन्ट' के झमेले से मुक्ति मिली है। अब किसी वर्ड प्रोसेसर में ईमेंल में बेवसाइट पर मैसेज चैटिंग आदि सभी जगह पर यूनिकोड की मदद से हिन्दी लिख सकते हैं।

गूगल द्वारा प्रस्तुत "भारतीय भाषा लिखने की सुविधा" ऑन लाइन टूल है। गूगल की साइट पर जाकर हिन्दी तथा किसी भारतीय लिपि में टाईप कर सकते हैं। इस प्रकार आज की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के विकास की लम्बी परम्परा रही है। आज हमें हिन्दी को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी विश्व की अन्य भाषाओं से पीछे न रहे तथा बदलते आर्थिक परिवेश में हिन्दी अपनी सशक्त भूमिका निभा सके।

सरोज शर्मा
भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
(सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति)

सच्चा सौभाग्य तो श्रमशीलता, आत्मविश्वावास तथा दृढ संकल्प से जागता है।

- स्वेट मार्टन

जीवन का प्रत्येक क्षण सीखने, सृजन करने का सुनहरा अवसर है।

- जार्ज इलियट

<u>क्या आप जानते हैं ?</u>

1- चाण्क्य (अनुमानत: ईसा पूर्व 375) चन्द्रगुप्त मोर्य के मन्त्री थे।

2- चाण्क्य 'कौटिल्य' नाम से भी विख्यात थे।

3- चाण्क्य ने अर्थशास्त्र ,राज्निति;अर्थनिति, कृषिसमाज निति, जैसे महान ग्रथों की रचना की थी।

4- सबसे अधिक अमेंरिका में प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है।

5- तेल व्यापारी जान.डी. राककिल्फ अरबपति बनने वाले दुनिया के पहले व्यकित थे।

6- वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के सबसे सूखे इलाकों में गत बीस लाख वष्रो से बारिश नहीं हुई है।

7- रिक्शा का आविष्कार अमेरिकी पादरी रेवरेड जौनाथान स्कोवी ने जापान के याकोहामा शहर में 1869 में किया था, वह अपनी बनाई रिक्शा पर अपनी बीमार पत्नी को लजाया करते थे।

8- 'ग्रेबुक' जापान व बैल्जियम देश का सरकारी दस्तावेज हैं।

9- "अदभ्य साहस' (बेस्ट सेलर) ए.पी.जे. अबदुल कलाम (पूर्व राष्ट्रपति) द्वारा लिखे गये उनके जीवन के विचारो तथा संस्मणो का चित्रण हैं।

10- साधन ही उद्देश्यो का ओचित्य हैं , यह कौटिल्य (चाण्क्य) द्वारा विकसित विचार हैं।

(नरेश काकोत द्वारा संकलित)

(सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति)

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

.....

संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 से 16 सितम्बर, 2013 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन पर 2 सितंबर, 2013 को सचिव की ओर से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अपील परिचालित की गई। पखवाड़े के दौरान एक अनुभाग का निरीक्षण किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय अधिकारियों/कर्मचारियों ने काफी संख्या में भाग लिया। 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस पर माननीय गृह मंत्री का संदेश भी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया गया। पखवाड़े का मुख्य समारोह 16 सितंबर, 2013 को आयोजित किया गया जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में सचिव ने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का संकल्प कराया। इसके बाद पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को सचिव द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का स्थल पर आयोजन किया गया:-

1. हिंदी टिप्पण-आलेखन आशु प्रतियोगिता।
2. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।
3. हिंदी में अंताक्षरी प्रतियोगिता- इसमें हिंदी के मुहावरे/लोकोक्ति, दोहे आदि का प्रयोग किया गया।
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को सचिव द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए:-

<u>हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी	पहला	1000/-
2. श्री शरद द्विवेदी, अनुभाग अधिकारी	दूसरा	700/-
3. श्री गौरी शंकर प्रसाद, सहायक	तीसरा	500/-
4. मो अस्दुल्लाह, सहायक	तीसरा	500/-
5. कु. शीतल कपूर, सहायक	चौथा	100/ (सांत्वना)

<u>गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	पहला	700/-
2. श्री प्लासिदियस बारला, सहायक	दूसरा	500/-
3. श्री पी.के. हलदर, अनुभाग अधिकारी	तीसरा	300/-
4. श्री जे.एन. नायक, वैयक्तिक सहायक	तीसरा	300/-

<u>हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री पी.सी. झा, वैयक्तिक सहायक	पहला	700/-
2. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी	दूसरा	500/-
3. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	तीसरा	300/-
4. कु. शीतल कपूर, सहायक	तीसरा	300/-
5. श्रीमती रेखा भारती, वैयक्तिक सहायक	तीसरा	300/-

<u>हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री ब्रहम कुमार, एम.टी.एस.	पहला	700/-
2. श्री कमल किशोर, एम.टी.एस.	दूसरा	500/-
3. श्री नरेश कुमार, एम.टी.एस.	दूसरा	500/-
4. श्री गजराज सिंह, एम.टी.एस.	तीसरा	300/
5. श्री राज कुमार पासवान, एम.टी.एस.	तीसरा	300/-
6. श्री भदई साह, एम.टी.एस.	चौथा	100/-(सांत्वना)

<u>मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012-13 के लिए नकद पुरस्कार योजना</u>

प्रतिभागियों के नाम	**प्राप्त स्थान**	**पुरस्कार राशि (रू. में)**
1. श्री प्रद्योत बेपारी, सहायक	पहला	2000/-
2. श्री साधु राम, अवर श्रेणी लिपिक	पहला	2000/-
3. श्री प्रकाश टहिलियानी, प्रवर श्रेणी लिपिक	दूसरा	1200/-

हिंदी पखवाड़े के मुख्य समारोह के अवसर पर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति

सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों की व्यवस्था की गई है। इनका गठन केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। इन समितियों का मुख्य कार्य राजभाषा अधिनियम व नियमों में निर्धारित सिद्धांतों तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों और निदेशों के कार्यान्वयन में सलाह देना है। इन समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी आदेश को राजभाषा विभाग द्वारा सूचित किए जाने पर हिन्दी सलाहकार समिति का गठन सर्वप्रथम 18 मई, 1984 को किया गया था। तब से मंत्रालय में नियमित रूप से हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है और हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें लगातार आयोजित की जाती हैं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय की पिछली हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 23 जुलाई, 2012 को 3 वर्ष के लिए हुआ था। इस समिति की 4 बैठकें आयोजित हुई। ये चारों बैठकें समिति के तत्कालीन उपाध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्रालय एवं योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजीव शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुईं।

हिंदी सलाहकार समिति की चौथी बैठक के पश्चात हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ श्री राजीव शुक्ल, तत्कालीन संसदीय कार्य एवं योजना राज्य मंत्री तथा उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय।

23 जुलाई, 2012 को पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में समिति के सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दी पत्रिका का एक और अंक निकालने का सुझाव दिया जिसके अनुसरण में पत्रिका का एक और अंक निकाला गया और उसे मंत्रालय की वैबसाइट पर डाला गया है।

विदेशों में गए सदभावना शिष्टमंडल

निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए निसंदेह यह अति आवश्यक और: उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है

इस मंत्रालय में सन् 1966 से भारत सरकार द्वारा प्रोयोजित संसदीय शिष्टमंडलों नीति के दौरान मंत्रालय ने 31.03.2014 तक अलग-अलग देशों में 21 भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों को भेजा है एवं अलग-अलग देशों के 13 संसदीय शिष्टमंडलों की मेंजबानी की है।

दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 तक विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से एवं प्रधानमंत्री के अनुमोदन से एक 9 सस्दयीय भारतीय संसदीय शुभेच्छा शिष्टमंडल ने श्री कमल नाथ, संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में दिनांक 10-16 अप्रैल, 2013 को इंडोनेशिया का दौरा किया एवं इसी क्रम में श्री पबन सिंह घटोवार, संसदीय कार्य राज्य मंत्री एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) के नेतृत्व में 8 सस्दयीय शिष्टमंडल ने दिनांक 26 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2013 तक तुर्कमेनिस्तान तथा अरमेनिया का दौरा किया।

01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, वियतनाम, पेरू, मालदीव,मलेशिया और स्वीडन से आए संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूं, परंतु मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता ।

--- श्री विनोबा भावे

युवा संसद के कार्यक्रम

युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उदेश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरु की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रधानाचार्यो/प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 अवधि के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न हुई:-

1. 5 जुलाई, 2013 को शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के लिए 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता के विद्यालयों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने की। 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 का पुरस्कार वितरण समारोह 31 जनवरी, 2014 को आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भी श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने की।

श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री 5 जुलाई, 2013 को आयोजित 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

31 जनवरी, 2014 को आयोजित 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6 के पुरस्कार विजेता विद्यार्थी और अध्यापक।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता के विजेता विद्यालयों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 15 जुलाई, 2013 को आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. शशि थरूर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की।

डॉ. शशि थरूर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री 15 जुलाई, 2013 को आयोजित 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर केन्द्रीय विद्यालय, पनगोड, केरल के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के पुरस्कार विजेता विद्यालयों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 5 अगस्त, 2013 को आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने की।

श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री 5 अगस्त, 2013 को आयोजित 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय, जमुई, बिहार के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 विजेता विद्यार्थियों और संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 21 मार्च, 2014 को आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने की।

श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री 21 मार्च, 2014 को आयोजित 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर, पंजाब के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के साथ।

विधायी अनुभाग द्वारा किये गये मुख्य कार्य

01.01.2013 से 31.03.2014 तक तीन सत्र बुलाये गये।

1. बजट सत्र
2. मानसून सत्र
3. शीतकालीन सत्र (भाग 1 तथा 2)

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है, क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण देने के लिए आदिष्ट करता है। कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया।

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितिया हैं जिनके कारण उनको तत्काल कारवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के निए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते है तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

संसदीय कार्य मंत्री अध्यादेशों की प्रतियों को सभा पटल पर रखते है। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान 15 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए।

<u>निष्पादित सरकारी कार्य का सार</u>

<u>विधायी</u>

पंद्रहवीं लोक सभा के 13वें, 14वें और 15वें सत्र तथा राज्य सभा के 228वें, 229वें और 230वें सत्र की समाप्ति पर कुल 128 विधेयक (लोक सभा में 66 विधेयक और राज्य सभा में 62 विधेयक) लंबित थे।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों में 77 विधेयक (लोक सभा में 40 विधेयक तथा राज्य सभा में 37 विधेयक) पुर:स्थापित किए गए।

इनमें से, दोनो सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए। लोक सभा में दो विधेयक तथा राज्य सभा में आठ विधेयकों को वापस लिया गया।

<u>अन्य गैर-सरकारी कार्य</u>

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1 और राज्य सभा में 3 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त लोक सभा में आधे धंटे की एक चर्चा हुई। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 46 विधेयक (36 विधेयक लोक सभा में और 10 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए।

वैश्वीकरण का दैत्य

यह दैतय हमारे घरों तक आ पहुंचा है,
धीरे-धीरे निगल रहा है सबकुछ,
मेरे नन्हों के मिट्टी के खिलौने,
लकड़ी के छोटे-छोट घर सब कुचल डाले हैं।
यह साधनहीन बेचारे अब धनवानों के आई पौड को
सिर्फ देखते ही हैं।
फुटपाथ पर सोते कुछ लोगों की जान,
बिगड़ैल धनी युवक की कार से सस्ती हो गई है,
राह चलते बूढ़ों को गाली देना,
अधेड़ औरत के गहने लूटना, यही पाठ है,
जो यह दैत्य पढ़ाता है।
चरित्र निमार्ण का वह पाठ जो मैंने,
पहली कक्षा में पढ़ा था,
अब पाठयक्रम में नहीं है।
वैश्वीकरण का दैत्य उसे निगल गया है।
वह पुस्तक जो मैंने पढ़ी थी,
अब पुरानी पुस्तकों की दुकान पर भी नहीं मिलती,
जो कली हर घर में खिलती थी,
अब कहीं नहीं खिलती,
अपनों की हंसी नहीं मिलती,
मेरी अपनों से ही नज़र नहीं मिलती,
यह दैत्य सब खा गया है।

प्रो. अनिरूद्ध जोशी
(सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति)

लो आ गया बंसत

पत्तों की सरसराहट गुनीगुनी सी धूप
वृक्षों से छनछन कर आयी जब जमी पर

शाख पर निकली नई कोपलों को देख कर
पुराने हरे पर जर्जर पत्तों ने हॅस कर,
लहलहा कर उनका स्वागत किया।

खुश हुये वो उनके आगमन पर
वा इतना अधिक खुश हुये कि
झुमझुम कर खुद ही डाल से जुदा हो गये
और दूर तलक उड.उड हवा के झोंकों के साथ
दे आये सबको ये पैगाम।

कि देखो बंसत आ गया, नव बंसत आ गया
और थक कर खुद ही मिट्टी के ढ़ेर में दफन हो गये।

इसी तरह ही अनवरत चलता हैं सृष्टि का ये विकास
जो आज है वो कल बन जायेगा
फिर ये कल और आज मिलकर एक नया कल लायेगा
सृजन की तल्ख सच्चाइयों से ना हो जाओ तुम उदास
यही है प्रकृति का जीवन सागर मंथन
यही है नवसृजन नवनिर्मण
यही है नवसृजन नवनिर्माण

श्रीमती सरोज शर्मा
सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति

देखो नया साल फिर आ गया है

दो गठरियाँ उठाये घूम रहा था दर बदर,
एक जिम्मेदारियों की,उनको जल्दी से
 निपटा लेने को
ओर दूसरी उम्मीदों की
इस दुनिया से कुछ पा लेने को।
लेकिन दोनों गठरियाँ,

हल्की होने की बजाये,
भारी होती जा रही थी, दिन ब दिन।
कुछ राहगीर भी मिले राह में,
किसी को था मेरे काम से मतलब
कुछ ढूँढें मेरे नाम के मतलब
लेकिन मिले कुछ फ़रिश्ते भी
जिनको था
मेरे अन्दर इंसान से मतलब।

तभी पीछे से
किसी ने आवाज़ लगाई
" अरे, ज़रा बैठो
तनिक सांस ले लो
कुछ पी लो, कुछ खा लो
ज़रा नाच लो ज़रा गा लो
देखो तो

पुराना साल गुज़र चुका है
और नया साल फिर आ गया है"।

मैं चंद लम्हों के लिए रुका
कुछ पीया कुछ खाया
थोडा हंसा थोडा गाया
ओर चल दिया
नए साल के साथ
फिर से इक लम्बे सफ़र पर
दो गठरियाँ उठाये ।

श्री बलविंदर सिंह (महाप्रबंधक)
(शिष्टचार एंव सुरक्षा कक्ष)
भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली

वृक्ष और मैं

वृक्ष, तुम बरसों से
यूं ही खड़े हो एक स्थान पर
जड़ लगते हो
लेकिन फिर भी हरे हो।

वृक्ष, तुम वर्ष भर सहते हो
धूप, गर्मी, सर्द हवाएं
मगर फिर भी तृप्त हो
यदा-कदा मिलने वाली वर्षा से।

वृक्ष, तुम संतुष्ट हो
कि तुम्हारा अस्तित्व अर्थहीन नहीं
तुम्हारी छांह देती है सुकूं
थके-मांदे राहगीरों को।

वृक्ष, मैं भी तुम सरीखी
बनना चाहती हूं
प्रसन्न रहना चाहती हूं
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी,
तृप्त होना चाहती हूं
प्रेम के दो बोलों से।

मैं भी
संतुष्ट होना चाहती हूं
अपने अस्तित्व से,
अर्थ देना चाहती हूं
अपने सारहीन जीवन को,
रचना चाहती हूं
एक नई रचना ।

सुश्री मृगनयनी पाण्डेय
सहायक निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय

सुप्रभात

नयन का नयन से, नमन हो रहा है,
लो उषा का आगमन हो रहा है,
परत पर परत, चांदनी कर रही है,
तभी तो निशां का गमन हो रहा है,

क्षितिज पर अभी भी है, अलसाए सपने,
पलक खोल कर भी, शयन हो रहा है,
झरोखों से प्राची की पहली किरण का,
लहर से प्रथम आगमन हो रहा है,

है नहला रही, हर कली को तुषारे,
लग्न पूर्व कितना जतन हो रहा है,
नही शाख पर पक्षियों का है कलरव,
प्रभाती सा लेकिन, सहन हो रहा है,

बही जा रही जिस तरह से अरूनिमा,
है लगता कहीं पर हवन हो रहा है,
मधुर मुक्त आभा, सुगंधित पवन है,
नये दिन का कैसा सृजन हो रहा है,

राजेन्द्र सिंह "गन्डूरा"
सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति
संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

तुम्हारे किस्से में

तुम्हारे किस्से में दिल का मेरे मकान जला
लगा फकीर की दरगाह पे लोबान जला।।

अभी भी रात को बढ़िया वो महक उठी है
ना जाने कितने बरस पहले जाफरान जला।।

यूं देर शाम वहां आग जली चूल्हे में
सुबह से शाम तलक पहले वो इन्सान जला।।

वहां कुरान था, गीता थी और कसमें थी
अदालतों में मगर रोज ही इमान जला।।

सभी तो टांक के आए थे अपना चाँद वहां
जरा बताओ तो किस-किस का आसमां जला।।

कैलाश सेंगर
सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति
संसदीय कार्य मंत्रालय

हमें कठिन परिश्रम करना होगा। हम में से कोई भी तब तक चैन से नहीं बैठ सकता है जब तक हम अपने वचन को पूरी तरह निभा नहीं देते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा देते जहॉ भाग्य उन्हें पहुँचाना चाहता है। हम सभी एक महान देश के नागरिक हैं, जो तीव्र विकास की कगार पे हैं और हमें उस उच्च स्तर को पाना होगा। हम सभी चाहे जिस धर्म के हों, समानरूप से भारत मॉ की संतान हैं, और हम सभी के बराबर अधिकार और दायित्व हैं। इस सांप्रदायिकता और संकीर्ण सोच को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हैं।

- **जवाहरलाल नेहरू**

सामान्यत: प्रयोग होने वाले शब्द

अंग्रेजी शब्द	हिंदी में अर्थ
Abuse	दुरूप्रयोग
Accident	दुर्घटना
Accomplice	सह अपराधी
Accused	अभियुक्त
Adjustment	समायोजन
Acquisition	अर्जन, अभिग्रहण
Accounting year	लेखा वर्ष
Accumulated profits	संचित लाभ
Bar	वर्जित करना
Bad Conduct	दुराचरण
Bottom Line	निष्कर्ष पंक्ति
Brokerage	दलाली
Balance sheet	तुलन-पत्र
Calculation of tax	कर-परिकलन,
Calendar year	कैंलडर वर्ष
Cost of Living	निर्वाह व्यय
Covering Letter	सह-पत्र
Daily wages	दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी
Date of Maturity	पूर्णता तारीख
Deductible	कटौती योग्य
Decontrol	विनियंत्रण
Deceased	दिवंगत, मृतक
Empower	शक्ति देना, अधिकार देना
Epitome	निष्कर्ष, सार
Fidelity	निष्ठा
Foreword	प्राक्कथन
Fraudulent	कपटपूर्ण
General Procedure	सामान्य कार्यविधि
Grantor	अनुदाता
Hearsay	सुनी-सुनाई
Hire purchase	भाड़ा-क्रय
Ownership	स्वामित्व